



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर
(Phone: 0141-2385831, 2227555, 2227602 FAX, Toll Free Help Line 15100)
(E-mail:-rj-slsa.nic.in, rsajsajp@gmail.com Website:-www.rlsa.gov.in)

क्रमांक:-एफ-7(76) रालसा/संस्था-पी.एल.ए.सदस्य नियुक्ति/2023/14283

दिनांक: 24.08.2023

विज्ञप्ति

स्थाई लोक अदालत में सदस्यों या अन्य व्यक्ति के नामांकन/नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति


विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 39) की धारा 22 बी में वर्णित अनुसार आमजन से जुड़ी हुई सेवाओं-

1. वायु, सड़क या जल द्वारा यात्रियों या माल के परिवहन के लिए परिवहन सेवाएं;
2. डाक, टेलीग्राफ या टेलीफोन सेवा;
3. किसी भी स्थापना द्वारा जनता को शक्ति, रोशनी या पानी की आपूर्ति;
4. लोक स्वच्छता या स्वास्थ्य रक्षा की प्रणाली;
5. अस्पताल या डिस्पेन्सरी में सेवा;
6. बीमा सेवा;
7. बैंककारी और वित्तीय संस्था सेवाएं;
8. आवासीय सेवाएं;
9. लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस सेवा;
10. शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थाओं या
11. आवास और भू सम्पदा सेवाएं;

जनोपयोगी सेवा (Public Utility Services) में आती है, जिनसे संबंधित एक करोड़ रुपये तक के मूल्यांकन के प्रकरणों की सुनवाई हेतु प्रत्येक जिले में स्थाई लोक अदालत (Permanent Lok Adalat) गठित की गई है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मुख्यालय अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, जयपुर महानगर-द्वितीय एवं जालोर में धारा 22 बी के तहत संस्थापित स्थाई लोक अदालतों में, क्रमशः अजमेर में 01 पद, अलवर में 01 पद, भरतपुर में 02 पद, बीकानेर में 01 पद, बूंदी में 01 पद, जयपुर महानगर-द्वितीय में 02 पद एवं जालोर में 02 पद, कुल 10 सदस्यों के पद रिक्त है। उक्त रिक्त पदों पर सदस्य/अन्य व्यक्ति (Member /Other Person) के नामांकन/नियुक्ति हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं-

1. जो निम्न अर्हता एवं पात्रता रखते हो-
 01. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से स्नातक की उपाधि, एवं
 02. लोक उपयोगिता सेवाएं (Public Utility Services) में पर्याप्त अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए, या
 03. सेवानिवृत्त अधिकारी जो जन उपयोगी सेवाओं से सेवानिवृत्त हुआ हो अथवा जन उपयोगी सेवाओं के कार्य का अनुभव हो, या
 04. विधि का ज्ञान अथवा विधि की शिक्षा परन्तु जन उपयोगी सेवा का अनुभव हो,
2. अभ्यर्थी की नियुक्ति के समय उम्र 63 वर्ष से अधिक की नहीं हो,
3. उक्त नियुक्ति प्रारंभ में 01 वर्ष के लिए की जाएगी जिसे सेवाएं सन्तोषप्रद पाये जाने पर प्रारंभिक नियुक्ति के 01 वर्ष को सम्मिलित करते हुए 02 वर्ष तक या आवेदक की आयु 65 वर्ष पूरी होने तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ाया जा सकेगा।

4. स्थाई लोक अदालत के सदस्य को मानदेय व अन्य सुविधाएं Permanent Lok Adalat (Other Terms and Conditions of Appointment of Chairman and Other Persons) Rules, 2003 के अनुरूप देय होंगी
5. उक्त चयन की प्रक्रिया प्राप्त आवेदनों में से योग्य अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने के पश्चात् स्क्रीनिंग या साक्षात्कार अथवा दोनों द्वारा पूर्ण की जावेगी। साक्षात्कार हेतु किसी भी प्रकार का टी.ए./डी.ए. देय नहीं होगा। चयन का अंतिम निर्णय माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय के विवेकाधीन होगा।
6. आवेदक को स्वयं यह घोषणा पत्र देना होगा कि उसका किसी भी जन उपयोगी सेवाओं में किसी प्रकार का वित्तीय या अन्य प्रकार का हित नहीं है।
7. पात्रता रखने वाले आवेदक निर्धारित प्रारूप में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर के कार्यालय में डाक या व्यक्तिशः द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाइट www.rlsa.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
8. आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेजात की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि सम्मिलित की जावे।
9. नियुक्ति से संबंधित शर्तें व नियम प्राधिकरण के निर्णयाधीन रहेंगी।
10. उक्त सदस्य या अन्य व्यक्ति (Members/other person) किसी प्रकार का नियोजन नहीं है और नियोजन का कोई अधिकार सृजित नहीं करता है, बल्कि स्वसेवा है, जिस कार्य निष्पादन के लिए निर्धारित मानदेय व यात्रा भत्ता देय है।
11. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक **11.09.2023** है। इस तिथि को कार्यालय समय पश्चात् (सायं 05.00 बजे के पश्चात्) प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
12. एक आवेदन पत्र के जरिये केवल एक ही स्थान के सदस्य/अन्य व्यक्ति के लिए आवेदन किया जा सकता है।


सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 9928900900)

Email: rj-slsa@nic.in,

website: www.rlsa.gov.in

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 39) की धारा 22 बी के तहत संस्थापित स्थाई लोक अदालत में सदस्य/अन्य व्यक्ति (Member/other person) के रिक्त पदों पर सदस्यों/अन्य व्यक्तियों (Members/other person) के नामांकन/नियुक्ति हेतु।

जिले का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है.....

(केवल एक जिला ही अंकित किया जावे)

1. आवेदक का नाम

हिन्दी में

अंग्रेजी में

2. आवेदक के पिता/पति का नाम

3. जन्म तिथि (शब्दों व अंकों में)

4. शैक्षणिक योग्यता

5. गृह जिला

6. स्थायी निवास का पता

(टेलीफोन नम्बर).....

7. वर्तमान पता

(टेलीफोन नम्बर).....

8. मोबाईल नम्बर

9. ई-मेल एड्रेस

10. कार्यालय का पता

11. उत्तीर्ण परीक्षाओं का विवरण(सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी, स्नातक एवं तत्पश्चात् अर्जित) :-

क्र.सं.	परीक्षा	बोर्ड/विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण करने का वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांकों का प्रतिशत
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

पासपोर्ट साइज
का नवीनतम
स्व-हस्ताक्षरित
फोटो चिपकाये